विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तरालेख

प्रश्न	उत्तर
2 (क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की जेलों में बंदियों के सापेक्ष तैनात डॉक्टरों की कुल संख्या कितनी है?	जी हाँ, उत्तर प्रदेश की 74 जेलों में वर्तमान में 99,489 बंदी निरूद्ध है। प्रदेश की 74 जेलों में डॉक्टरों के कुल 156 पद सृजित है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में कुल-102 डॉक्टर तैनात हैं। इसके अतिरिक्त जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा समय-समय पर जेलों के रिक्त पदों पर डॉक्टरों/चिकित्साधिकारियों को तैनात किया जाता है।
(ख) क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में डॉक्टरों की ड्यूटी प्रति घण्टें के हिसाब से निर्धारित होती है ?	जी नहीं, उत्तर प्रदेश की जेलों में डॉक्टरों की ड्यूटी प्रति घण्टें के हिसाब से निर्धारित नहीं होती है।
(ग) यदि हाँ, तो उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगें ?	लागू नहीं।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उत्तर प्रदेश की कारागारों पर डॉक्टरों/चिकित्साधिकारियों की ड्यूटी अपरिहार्य होती है। उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों के समुचित उपचार हेतु जेलों पर तैनात डॉक्टरों/चिकित्साधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों के सम्बन्ध मेंउत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-1026 में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं- जेल मैनुअल के प्रस्तर-1026(2)(पन्द्रह) के उप प्रस्तर (क)- जब चिकित्साधीक्षक को शामिल करते हुए एक से अधिक चिकित्साधिकारी एक जेल में तैनात है, तो उनकी डयूटी और राहत इससे व्यवस्थित की जानी चाहिए कि उनमें से एक हमेशा पूरा दिन जेल में उपस्थित रहें, तथापि लॉकिंग और अनलॉकिंग के बीच एक चिकित्साधिकारी जेल लाईन में किसी आकस्मिक या गंभीर मामले को देखने के लिए उपस्थित रहेगा। जेल मैनुअल के प्रस्तर-1026(2)(पन्द्रह) के उप प्रस्तर (ख)- जब केवल एक ही चिकित्साधिकारी है, तो वह पूर्ववर्ती प्रस्तरों में निर्धारित सभी कर्तव्यों का पालन करेगा। उसकी उपस्थिति सुबह 07:00 बजे से लेकर चिकित्साधीक्षक के भ्रमण तक रहेगी और पुन: 03:00 बजे से लॉकिंग अप तक रहेगी। वह अन्य समय पर भी, जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता हो, तो बंदियों को देखने के लिए तैयार रहेगा व रात्रि में अस्पताल का भ्रमण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गंभीर मामलों में इलाज एवं निर्धारित भोजन उपलब्ध है।

(धर्मवीर प्रजापति)
राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)